

11/24


पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
वकील वादी द्वारा साक्ष्यवादी बन्द करने का
निवेदन किया। अतः साक्ष्यवादी बन्द किया
जाता है। पत्रावली वास्ते बयान फिनांक
9/12/24 को पेश हो।

साक्ष्यवादी
बन्द


11/11/24

01/11/24

पत्रावली पेश हुई। स्वयं वादीगण अनुपस्थित।
आमि० वादीगण भी अनुपस्थित। आमि० अति. उपठ।
तीन बार रुक-रुक कर आवाज लगाई गई, लेकिन
कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण को
अन्तर्गत आदेश 9 नियम 8 CPC अद्यम 11/11/24
अद्यम चेंखी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद
तामिल नकलील दाय्येले इफ्तरे हो।



उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

